

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 27/2005

- 1 हीराराम पुत्र औंकारमल।
- 2 महावीर पुत्र औंकारमल।
- 3 कानी बेवा औंकारमल समस्त जाति माली निवासीगण मौजास तहसील व जिला झुंझुनू।




अपीलांत

बनाम

- 1 गोरिया मृतक पुत्र पेमाराम जाति चमार।
- 2 चौथूराम पुत्र रामदेव।
- 3 भगवानाराम पुत्र औंकारमल।
- 4 केसरी पुत्री औंकारमल।
- 5 मुन्नी पुत्री औंकारमल।
- 6 नानी बाई पुत्री औंकारमल समस्त माली निवासीगण मौजास तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेंट

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
झुंझुनू मुकदमा नम्बर 20/2004 उनवानी सरकार  
बनाम गोरिया वगैरह अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ आदेश  
दिनांक 09.08.2005

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

उपस्थिति :



1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

-निर्णय-

दिनांक:- 24.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 20/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 09.08.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुंझुनू ने धारा 175 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम कुहाडु तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिपक्षी नम्बर 2 व 3 ने धारा 42ख का उल्लघन करते हुये प्रतिपक्षी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दिया। अत आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि राज्य सरकार के नाम की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आवेदन/दावा पेश होने से पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध विचाराधीन आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील नही करवाई गई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
(कैम्प झुंझुनू)




राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाकर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि अनुसार नलिटी है। अपीलांट्स मृतक के वारिसान है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन स्वीकार किये जाकर अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह चौधरी)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर